

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ  
वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in) ; ई-मेल : [shcuplko@rediffmail.com](mailto:shcuplko@rediffmail.com)

दिनांक : 09/01/2024

## —: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-3 दिनांक 08 जनवरी, 2024 को जारी किया है जिसमें हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश निम्नवत हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदन दिनांक 08 जनवरी, 2024 को आरम्भ हो गया है जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक जारी रहेगा।
2. ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> पर किया जायेगा।
3. राज्य हज समिति द्वारा प्रशिक्षकों का चयन किये जाने की अन्तिम तिथि 25 जनवरी, 2024 है।
4. प्रशिक्षकों को दो दिवसीय भौतिक प्रशिक्षण दिल्ली में फरवरी, 2024 के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है।
5. केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. 150 हज आवेदकों पर 01 प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा। समस्त जिलों से प्रशिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो। किसी जनपद में 150 हज आवेदकों से कम संख्या होने पर भी 01 प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा।
7. पूर्व प्रशिक्षक जिनको पिछला अनुभव है व पर्याप्त ज्ञान हो, का चयन किया जाएगा। गत वर्षों में जिनका बार-बार चयन हुआ है परन्तु उनके द्वारा निराशजनक प्रदर्शन किया गया है उनका चयन नहीं किया जाएगा।
8. प्रशिक्षक के रूप में शिक्षित, ईमानदार, कुशल, मेहनती और मृदुभाषी व्यक्तियों का चयन किया जाए।
9. ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित प्रपत्र भी अपलोड करना आवश्यक होगा जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का प्रथम पृष्ठ, वीजा एवं 02 डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
10. प्रशिक्षक हेतु आयु 15 जनवरी, 2024 को 25 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो। समुचित संख्या में महिलाओं का भी चयन किया जाए जिससे कि महिला हज आवेदकों को प्रशिक्षण दे सकें।
11. आवेदक के विरुद्ध किसी भी आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में उनका चयन नहीं किया जायेगा।
12. गत पाँच वर्षों में हज किया होना अनिवार्य है।
13. अंग्रेजी/उर्दू/हिन्दी व स्थानीय भाषा बोलने व समझने में निपुण हो।
14. हज एवं उमराह के अरकानों एवं उसके क्रियान्वयन की पूर्ण जानकारी रखता हो।
15. मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो।
16. भीड़/समूह को सम्बोधित करने व नियंत्रित करने का अनुभव हो।
17. कम्प्यूटर की जानकारी रखता हो ताकि हज से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान ई-मेल, व्हाट्सैप आदि सुविधाओं का संचालन एवं यात्रियों से आदान-प्रदान भलि-भांति कर सके।
18. जो आवेदन सही पाये जाएंगे उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार राज्य हज समिति द्वारा किया जायेगा। अससिस्टेंट हज आफिसर/हज असिस्टेंट/मेडिकल आफिसर/खादिमुल हुज्जाज में गत वर्षों में हज पर जाने का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जायगी।

(एस.पी.तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी